न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 86/2024
सीआईएस नंबर : 86/2024
CNR : RJBA010005922024

01. रूपाराम पुत्र स्व. हीराराम, उम्र 39 वर्ष,
02. महेन्द्र पुत्र स्व. हीराराम, उम्र 38 वर्ष,
निवासियान भील बस्ती, जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

––प्रार्थीगण

बनाम

01. ओमाराम पुत्र मोडाराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी मेवानगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।
(चालक वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901)
02. नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह, निवासी सिणली जागीर, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा ।
(मालिक वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901)
03. HDFC ERGO General Insurance Company Limited, Office Add. खेड़ रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक के सामने इलाहाबाद बैंक के पास, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा–344022.
(बीमा कंपनी वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988

उपस्थितः–
01. श्री भगवतसिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से ।
02. श्री रुगाराम कड़वासरा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।
03. श्री किरण मंगल, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

– <u>निर्णय</u> –

दिनांकः 05.08.2026

1. प्रार्थीगण रूपाराम वगैरह् ने यह क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन

अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत हीराराम की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 12.03.2024 को पेश किया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.10.2023 को दिन के करीब 02.00 बजे मृतक हीराराम माजीसा मंदिर से वापस पैदल घर की तरफ जा रहा था। अरिहंत हैण्डलूम के सामने सही साइड में सड़क के किनारे–किनारे चल रहा था तभी पीछे से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए मृतक हीराराम के जोरदार टक्कर मारी जिससे उसके हाथ व सिर में गंभीर चोटें लगीं। दुर्घटना पीछे राह चलते तेजाराम वगैरह् ने देखी। उन्होंने हीराराम को संभाला तब डम्पर चालक डम्पर लेकर भाग गया। तेजाराम वगैरह् एम्बुलेंस से मृतक को नाहटा अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र रूपाराम ने बमुकाम नाहटा अस्पताल में प्रस्तुत की गई जिस पर पुलिस थाना जसोल में प्रकरण सीआर नं. 209/2023 अंतर्गत धारा 279, 337 व 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 ओमाराम द्वारा डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए, उसके विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। प्रार्थीगण ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में 42,50,000/– रुपये मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि उक्त दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 01 को गलत तौर से इन्वॉल्व किया है। उसने वाहन डम्पर संख्या आर जे 04 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की। अनुसंधान अधिकारी ने गलत अनुसंधान कर उसे झूँठा फंसाया है। अप्रार्थी संख्या 02 का वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की क्लेम अदायगी के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01

व 02 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थन पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 नरपतसिंह के नाम से बीमित होना स्वीकार किया परन्तु क्लेम याचिका में वर्णित शेष तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरुद्ध पेश की गई है । प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वाहन चालक व मालिक से दुरभि संधि कर उसके द्वारा चालित उक्त वाहन को दुर्घटना में लिप्त बताकर पुलिस से मिलकर बीमा कंपनी से रुपये ऐंठने की नीयत से अधिनस्थ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करवा दिया । वास्तव में उक्त वाहन से दुर्घटना नहीं हुई है जिससे अप्रार्थी बीमा कंपनी प्रार्थी पक्ष को क्लेम अदा करने हेतु जिम्मेवार नहीं है । अतः क्लेम प्रार्थना पत्र बीमा कंपनी के विरुद्ध खारिज करने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 29.10.2023 को दिन के करीब 02.00 बजे सरहद मौजा जसोल में जसोल से नाकोड़ा जाने वाली रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पैदल चल रहे हीराराम के पीछे से टक्कर मारी एवं दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप हीराराम की मृत्यु हो गई ?

– प्रार्थीगण

02. आया प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 42,50,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

– प्रार्थीगण

03. आया अप्रार्थी संख्या 03 के जवाब व विशेष आपत्तियों में

उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है ?

– अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी

04. अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर से क्लेम याचिका के समर्थन में ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र व ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में, दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 30 प्रदर्शित करवाये ।

7. साक्ष्य अप्रार्थी में बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 01 कमलकांत को परीक्षित करवाया एवं दस्तोवजी साक्ष्य में, प्रदर्श एनए01 से एनए09 प्रदर्शित करवाये ।

8. अनुसंधान अधिकारी भंवरलाल के बतौर सी.डब्ल्यू. 01 कथन अभिलिखित किए गए ।

9. बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण होना एवं दुर्घटना में कारित चोटों के परिणामस्वरूप हीराराम की मृत्यु होना साबित है । यह भी तर्क दिया कि मृत्यु के समय हीराराम की आयु 55 वर्ष थी जो शादी समारोह और त्यौहारों पर ढोल बजाकर मासिक 30,000/– रुपये कमाता था । प्रार्थीगण को मृतक की दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के कारण कारित क्षतिपूर्ति हेतु माफिक क्लेम याचिका मुआवजा दिलाए जाने का निवदेन किया ।

10. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 01 को गलत तौर से इन्वॉल्व किया है । उसने वाहन डम्पर संख्या आर जे 04 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की । उनके वाहन को मिथ्या अंतर्लिप्त किया गया है । अनुसंधान अधिकारी ने गलत अनुसंधान कर उसे झूँठा फंसाया है । अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए । विकल्प में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि दिलाना उचित पाए जाने पर वक्त

दुर्घटना उनका वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से प्रतिकर अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी पर डाला जाए ।

11. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात डम्पर के विरुद्ध प्रस्तुत की है । यदि चक्षुदर्शी गवाह तेजाराम को वास्तव में दुर्घटना के समय वाहन के नंबर देखे होते तो वह पुलिस को व परिवादी को वाहन के नंबर तत्काल बताता लेकिन न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही नक्शा मौका की फर्द में वाहन के नंबर बताए गए हैं जबकि वक्त प्रस्तुति प्रथम सूचना रिपोर्ट तेजाराम अस्पताल में मौजूद था एवं परिवादी रूपाराम व पुलिस अस्पताल में उपस्थित थे । तेजाराम ने परिवादी रूपराम व पुलिस को अस्पताल में डम्पर के नंबर व चालक का नाम बताना कथन किया है, बावजूद उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट और दुर्घटना के 07 दिन पश्चात् तैयार की गई घटनास्थल निरीक्षण की फर्द में वाहन के नंबरों का हवाला नहीं देने से यह स्पष्ट है कि वाहन के नंबर तेजाराम को मालूम नहीं थे एवं घटना के 02 माह पश्चात् डम्पर की व्यवस्था होने पर तेजाराम व अन्य चश्मदीद गवाहों के कथन लेखबद्ध कर उसके अगले दिन आरोपित वाहन की जब्ती कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने भी प्रार्थी पक्ष का सहयोग किया है एवं मात्र बीमा कंपनी से रुपये ऐंठने की नीयत से प्रार्थी पक्ष, अप्रार्थी संख्या संख्या 01 व 02 तथा पुलिस ने मिलीभगत कर गलत अनुसंधान कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । अतः क्लेम याचिका खारिज करने एवं संबंधित अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही संस्थित करने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

01. 2014(1) R.A.R. 345 (Raj.) Jyoti Devi & Ors. Vs Amar Deep & Ors.
02. 2015(1) R.A.R. 81 (Raj.) Smt. Bhuri Bai Vs Mani Lal Raut & Ors.
03. 2016(1) ACTC (Raj.) 78 Mohra Devi & Ors. Vs Dhan Singh Patyal & Anr.

04. 2016(1) ACTC (Raj.) 337 Mahender Vs Girdhari & Ors.
05. 2016(2) R.A.R. 507 (Raj.) Mukesh Vs Pradeep Kumar & Ors.
06. 2013 R.A.R. 346 (Raj.) Naina Ram & Anr. Vs Jagannath & Ors.
07. 2004 R.A.R. 543 (Raj.) Mala Ram Vs Roopa Ram & Ors.

12. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01 व 03</u>

13. यह दोनों विवाद्यक परस्पर संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । उक्त विवाद्यकों को अपने पक्ष में साबित करवाए जाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र व ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम के कथन करवाए हैं । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 01 कमलकांत को परीक्षित करवाया एवं संबंधित फौजदारी प्रकरण के अनुसंधानकर्ता भंवरलाल के कथन बतौर सी.डब्ल्यू. 01 लेखबद्ध किए गए ।

14. प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र ने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत उसके शपथ पत्र में क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार दुर्घटना होना कथन किया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 से 30 प्रदर्शित करवाए गए हैं । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी । उसे मुफत खां ने फोन कर सूचना दी कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया । इस कथन को गलत बताया है कि आरोपित वाहन से दुर्घटना घटित नहीं हुई हो और क्लेम प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर ओर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलकर झूँठा चालान पेश करवा दिया हो ।

15. ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम घटना का चश्मदीद साक्षी होना बताया है, का कथन है कि दिनांक 29.10.2023 को दिन के करीब 02.00 बजे मृतक हीराराम

माजीसा मंदिर से घर की तरफ पैदल जा रहा था । अरिहंत हैण्डलूम के सामने अप्रार्थी संख्या 01 ओमाराम द्वारा वाहन डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे सही साइड में जा रहे हीराराम के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे हीराराम के हाथ व सिर में गंभीर चोटें लगी । दुर्घटना उसने व राह चलते लोगों ने देखी और हीराराम को संभाला तब डम्पर चालक वाहन लेकर भाग गया । एम्बुलेंस से हीराराम को नाहटा अस्पताल लेकर गए जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । दुर्घटना उसने देखी थी, दुर्घटना डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर कारित की है जिसमें मृतक की कोई गलती या लापरवाही नहीं थी । **अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में** कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्श 03 चार्जशीट में उसे चश्मदीद साक्षी न बताकर पंचनामा लाश साक्षी बताया हो । वह मृतक को अस्पताल लेकर गया था । उसने मौके से रूपाराम को उसके पिता के दुर्घटना की सूचना दी थी और जिस वाहन ने मृतक को टक्कर मारी थी उस वाहन के नंबर मौके से फोन करके बता दिए थे और उसे अस्पताल लेकर गए । रूपाराम अस्पताल आ गया था । उसने अस्पताल में भी मृतक के बेटे रूपाराम को डम्पर वाहन के नंबर और चालक का नाम भी बता दिया था । पुलिस अस्पताल आई तब वह वहीं पर था । पुलिस को घटना के बारे में उसने बताया और गाड़ी नंबर व चालक का नाम बताया । वह और रूपाराम आदि पूरे दिन मोर्चरी में रहे । रिपोर्ट पुलिस में रूपाराम ने सबसे पूछकर बाद में लिखवाई थी । डम्पर चालक डम्पर लेकर जब वे मौके पर पहुँचे तब उन्हें देखकर भाग गया था । इस कथन को गलत बताया है कि उसे डम्पर के नंबर याद नहीं हो और आज वह मृतक के परिवार को क्लेम दिलाने के लिए घटना देखना बता रहा हो और डम्पर नंबर ज्ञात होना बता रहा हो, जबकि वास्तव में उसे डम्पर के नंबर याद नहीं हो । इस कथन को गलत बताया है कि उनके द्वारा मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चालित वाहन से दुर्घटना कारित होना बता दिया हो जबकि उक्त वाहन से कोई दुर्घटना घटित

नहीं हुई हो ।

16. एन.ए.डब्ल्यू. 01 कमलकांत का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में उनकी फर्म एसके इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जयपुर को जाँच करने हेतु नियुक्त किया गया था जिस पर उसने उक्त प्रकरण में जाँच के दौरान दुर्घटना दिनांक 29.10.2023 के रोजनामचा की प्रमाणित प्रति पुलिस थाना जसोल से प्राप्त की जो प्रदर्श एनए 01 है तथा माननीय एसीजेएम संख्या 02 बालोतरा में दुर्घटना से संबंधित विचाराधीन फौजदारी प्रकरण संख्या 164/2024 सरकार बनाम ओमाराम की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई जिसमें मृतक हीराराम के फर्द पंचनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श एनए 02 है तथा वाहन स्वामी नरपतसिंह के अदालत में हुए बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श एनए 03 प्राप्त की गई । उसके द्वारा प्रकरण से संबंधित गवाहों से व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली गई तथा गवाहों के फोटो खींचे गए एवं घटनास्थल के फोटो लिए गए । उक्त दस्तावेजों से अनुसंधान कर जाँच रिपोर्ट तैयार की गई जो प्रदर्श एनए 04 है । उसकी जाँच में तथाकथित दुर्घटना वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 से घटित होना नहीं पाया गया । उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 01 में अज्ञात डम्पर से दुर्घटना होना बताया गया है तथा यह भी अंकन किया गया है कि उक्त दुर्घटना घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी बाबत कोई जाँच नहीं की गई न ही कोई रिकॉर्डिंग पत्रावली पर पेश की गई । प्रदर्श एनए 01 रोजनामचा में भी तथाकथित दुर्घटना अज्ञात डम्पर से होना बताया है । प्रदर्श एनए 03 नरपतसिंह द्वारा माननीय कोर्ट में बयान हिस्सा ए से बी "यह कहना..........हस्ताक्षर करवाये थे" है । मृतक हीराराम के फर्द पंचनामा जो कि दुर्घटना के दिन पुलिस द्वारा मुर्तिब किया गया था जिसमें चश्मदीद बताया गया गवाह तेजाराम पुत्र दीपाराम मौतबीर गवाह है । उक्त सभी तथ्यों के बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन नंबर नहीं बताए गए हैं बल्कि अज्ञात डम्पर से दुर्घटना होना बताया है । जाँच से यह पाया गया कि वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को केवल अप्रार्थी बीमा कंपनी से फर्जी

क्लेम प्राप्त करने के लिए संलिप्त करवाया गया है इसलिए बीमा कंपनी की उक्त प्रकरण में क्लेम अदा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। **अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से की गई जिरह में** कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श 19 बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई हो अजखुद कहा कि उसने केवल अनुसंधान किया था। **प्रार्थी की ओर से की गई जिरह में** इस कथन को सही बताया कि है सीआर नंबर 209/2023 पुलिस थाना जसोल में डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई है व उक्त प्रकरण में डम्पर को सीज किया गया था अजखुद कहा कि पत्रावली के साथ पुलिस द्वारा जाँच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड जिसका पृष्ठांकन एफआईआर में अंकित किया गया है के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड चार्जशीट के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। वह यह नहीं बता सकता कि बीमा कंपनी द्वारा अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच नहीं किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बालोतरा या उच्चाधिकारी को कोई परिवाद पेश किया हो। इस कथन को सही बताया है कि उसने घटनास्थल के आस–पास के लागों से जानकारी प्राप्त की थी उन लोगों के बयान नहीं लिए अजखुद कहा कि उन्होंने बयान देने से मना कर दिया था उसे केवल मौखिक बताया था। इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श एनए 04 व 05 फोटो घटनास्थल के नहीं हैं। वह यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि प्रदर्श एनए 06 से 09 घटनास्थल के नहीं होकर उसके सामने वाली सड़क के हों।

17. सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.10.2023 को वह पुलिस थाना जसोल में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज प्रदर्श 04 रिपोर्ट उसके समक्ष अस्पताल में पेश हुई थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण संख्या 209/2023 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द हुई। उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया जो प्रदर्श 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 दुर्घटना में लिप्त था जिसे जब्त किया और फर्द बनाई जो प्रदर्श 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 09, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श 10 व फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 11 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । प्रदर्श 30 नोटिस 133 एमवी एक्ट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी वाहन मालिक का जवाब व ई से एफ हस्ताक्षर है । प्रदर्श 12 नोटिस 134 एमवी एक्ट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी वाहन चालक का जवाब व ई से एफ वाहन चालक ओमाराम के हस्ताक्षर है । प्रदर्श 13 एमटीओ रिपोर्ट है । उसके द्वारा स्वतंत्र गवाहान रूपाराम, तेजाराम, राणाराम, लक्ष्मणराम के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किए जो प्रदर्श 14 से 17 है । उसके द्वारा गवाहान के बयान अनुसार तफ्तीश कर मुलजिम ओमाराम के विरुद्ध चार्जशीट नतीजा पेश किया जो प्रदर्श 03 है । अनुसंधान में हालात मौका, वाहन डम्पर मालिक नरपतसिंह से पूछताछ, गवाहान के बयान के आधार पर दिनांक 29.10.2023 को डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 के चालक ओमाराम द्वारा डम्पर को तेज गति व लापरवाही से जसोल से नाकोड़ा जाने वाली रोड़ पर अरिहंत हैण्डलूम के पास रोड़ के साइड में चल रहे हीराराम के टक्कर मारी जिससे उसके गंभीर चोटें आईं व दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई । **अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से की गई जिरह में** इस कथन को गलत बताया है कि उसने ओमाराम के विरुद्ध गलत चालान पेश किया हो । इस कथन को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ओमाराम द्वारा वाहन चलाना तथा आर जे 07 जी बी 4901 द्वारा टक्कर मारना नहीं बताया है । इस कथन को सही बताया है कि मौके पर उक्त वाहन नहीं था तथा किसी भी गवाह ने ओमाराम द्वारा वाहन चलाना नहीं बताया था । इस कथन को सही बताया है कि ओमाराम व नरपतसिंह जसोल निवासी हैं । इस कथन को गलत बताया है कि उसने प्रार्थी पक्ष से मिलीभगत करके गलत जाँच करके गलत चालान पेश किया हो । **अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में** इस कथन को सही बताया है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर नाहटा अस्पताल में वह स्वयं गया था । अस्पताल में मृतक का

बेटा रूपाराम, उसके रिश्तेदार व अन्य लोग उपस्थित थे। इस कथन को सही बताया है कि उसने अस्पताल में हाजिर लोगों से दुर्घटना के बारे में पूछा था तब उन्होंने डम्पर से दुर्घटना होना बताया । इस कथन को सही बताया है कि उस समय अस्पताल में किसी भी व्यक्ति ने वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 से दुर्घटना होना नहीं बताया था । इस कथन को सही बताया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट उसके सामने अस्पताल में ही पेश की थी । इस कथन को सही बताया है कि अस्पताल में ही उसने पंचनामा, फर्द लाश सुपुर्दगी व फर्द सूरतहाल लाश की कार्यवाही की थी तथा जो भी मौतबिरान हाजिर थे उनके नाम, पते लिखकर हस्ताक्षर करवाए थे । इस कथन को सही बताया है कि तेजाराम पुत्र दीपाराम भी उस समय अस्पताल में मौतबीर था । इस कथन को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तेजाराम द्वारा दुर्घटना देखने का अंकन किया है । इस कथन को सही बताया है कि अस्पताल में उसने तेजाराम से वाहन नंबर पूछे थे लेकिन उसने उस समय नहीं बताए अजखुद कहा कि बाद में बयान लिए तब बताए थे । इस कथन को सही बताया है कि तेजाराम पुत्र दीपाराम जसोल गांव का रहने वाला है । उसने रूपाराम के बयान कब लिए याद नहीं है अजखुद कहा कि मौका देखा उस दिन बयान लिए थे । इस कथन को सही बताया है कि घटनास्थल का मौका दुर्घटना के छठे दिन देखा । इस कथन को सही बताया है कि नक्शा मौका देखा तब भी उसने गवाहों से दुर्घटना कारित वाहन नंबर के बारे में पूछताछ की थी अजखुद कहा कि गवाहों ने गाड़ी नंबर बताए थे । इस कथन को सही बताया है कि नक्शा मौका प्रदर्श 05 में किसी वाहन के नंबर अंकित नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि रूपाराम ने भी उसके बयान दिनांक 04.11.2023 को दिए थे उसमें वाहन नंबर नहीं बताए अजखुद कहा कि रूपाराम पढ़ा लिखा नहीं है । इस कथन को गलत बताया है कि उसने तेजाराम के बयान जानबूझकर दो महीने बाद लिए हों अजखुद कहा कि गवाह बाहर गया हुआ था । इस कथन को सही बताया है कि तेजाराम ने उसके बयानों में यह नहीं बताया कि वह दुर्घटना के बाद दो महीने बाहर हो । इस कथन को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट

के अनुसार सीसीटीवी में दुर्घटना रिकॉर्ड होना लिखा है । इस कथन को गलत बताया है कि उसने घटनास्थल के सीसीटीवी की जाँच नहीं की हो अजखुद कहा कि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था । इस कथन को सही बताया है कि चालान में सीसीटी के संबंध में कोई जाँच की हो तथा सीसीटीवी कैमरा नहीं पाए गए हो इस संबंध में उसने कोई अंकन नहीं किया है । इस कथन को गलत बताया है कि उसने वाहन मालिक नरपतसिंह के धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस हेतु खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए हों । इस कथन को गलत बताया है कि वक्त दुर्घटना ओमाराम पुत्र मोडाराम वाहन नहीं चला रहा हो तथा वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 से दुर्घटना नहीं हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि मृतक के परिवार को क्लेम का फायदा दिलाने के लिए उसने उक्त वाहन से दुर्घटना होना तथा ओमाराम द्वारा वाहन चलाना मानते हुए गलत चालान पेश किया हो ।

18. पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विवेचन करने पर पाते हैं कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श 04 रूपाराम द्वारा बमुकाम नाहटा अस्पताल, बालोतरा में भंवरलाल एचसी नंबर 513 के समक्ष जिसमें उसने उसके पिताजी हीराराम के माजीसा मंदिर से वापस पैदल घर की तरफ आते समय तब अरिहंत हैण्डलूम के सामने पीछे से एक डम्पर चालक द्वारा डम्पर को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारना एवं दुर्घटना पीछे राह चलते तेजाराम वगैरह् द्वारा देखना एवं डम्पर चालक का मौके से डम्पर लेकर भाग जाना तथा तेजाराम वगैरह् द्वारा उसके पिताजी को एम्बुलेंस से नाहटा अस्पताल लेकर जाना बताया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना वहाँ लगे सीसीटीवी में हो सकती है ।

19. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात डम्पर के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसमें यह अंकन किया है कि दुर्घटना, घनास्थल पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी बाबत कोई जाँच नहीं की और न ही कोई रिकॉर्डिंग पेश की है तथा अनुसंधानकर्ता सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने भी यह स्वीकार किया है कि सीसीटीवी के संबंध में कोई जाँच की हो या सीसीटीवी कैमरा नहीं पाए गए हो इस संबंध में उसने

चालान में कोई अंकन नहीं किया है ।

20. चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम ने मृतक को अस्पताल लेकर जाना बताया है तथा सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने भी तेजाराम का अस्पताल में उपस्थित होना स्वीकार किया है जिसके फर्द पंचनामा पर बतौर मौतबिर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं जिससे तेजाराम तत्समय अस्पताल में उपस्थित होना साबित होता है । ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम ने जिरह में यह स्पष्ट कथन किया है कि ***वह मृतक को अस्पताल लेकर गया था । उसने मौके से रूपाराम को उसके पिताजी के दुर्घटना संबंधी सूचना दी थी और जिस वाहन ने मृतक को टक्कर मारी थी उस वाहन के नंबर मौके से फोन करके बता दिए थे और उसे अस्पताल लेकर गए । रूपाराम अस्पताल आ गया था । उसने अस्पताल में मृतक के बेटे रूपाराम को डम्पर वाहन के नंबर और चालक का नाम भी बता दिया था । पुलिस आई तब वह वहीं था । पुलिस को घटना के बारे में उसने बताया और गाड़ी नंबर व चालक का नाम बताया । वह और रूपाराम आदि पूरे दिन मोर्चरी में ही रहे । रिपोर्ट पुलिस में रूपाराम ने सबसे पूछकर बाद में लिखवाई थी ।*** लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 04 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रूपाराम द्वारा अस्पताल में भंवरलाल एचसी नंबर 513 के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो अज्ञात डम्पर के विरुद्ध की गई थी । जब चश्मदीद गवाह तेजाराम ने टक्कर मारने वाले वाहन के नंबर परिवादी रूपाराम को मौके से फोन पर ही बता दिए थे, दुबारा अस्पताल में भी नंबर और चालक का भी नाम बता दिया था और तेजाराम रूपाराम के साथ पूरे दिन मोर्चरी में भी उपस्थित था एवं रूपाराम द्वारा रिपोर्ट भी सबसे पूछकर लिखवाई थी, फिर भी उसके द्वारा अज्ञात डम्पर के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन डम्पर के नंबर व चालक के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी । स्वयं अन्वेषण अधिकारी सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल हैड कांस्टेबल ने दुर्घटना की सूचना मिलने पर नाहटा अस्पताल जाना कथन किया है, ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने अस्पताल में हाजिर लोगों से दुर्घटना के बारे में पूछा था तब उन्होंने डम्पर से

दुर्घटना होना बताया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 से दुर्घटना होना नहीं बताया था । गवाह ने तेजाराम पुत्र दीपाराम का भी उस समय अस्पताल में उपस्थित होना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में तेजाराम द्वारा दुर्घटना देखने का अंकन होना स्वीकार किया है । यह भी स्वीकार किया है कि अस्पताल में उसने तेजाराम से वाहन नंबर पूछे थे लेकिन उसने उस समय नहीं बताए । मेरे विनम्र मत में चश्मदीद गवाह जो कि मृतक का पड़ौसी व एक ही जाति से है एवं उसे दुर्घटना कारित वाहन के नंबर व चालक का नाम पता हो और उसे पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन के नंबर व चालक का नाम पूछा जाए और वह नहीं बताए यह तथ्य कतई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और परिवादी रूपाराम द्वारा सबसे पूछकर अज्ञात डम्पर के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाना, जबकि चश्मदीद गवाह तेजाराम उस वक्त अस्पताल में रूपाराम के साथ था और उसने रूपाराम व पुलिस को वाहन के नंबर व चालक का नाम अस्पताल में बता देना कथन किया है बावजूद उसके कोई व्यक्ति अज्ञात डम्पर के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करे यही साबित करता है कि तत्समय तेजाराम को आरोपित वाहन के नंबर व चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । वास्तव में तेजाराम को आरोपित वाहन के नंबर व चालक के बारे में जानकारी होती तो उसके द्वारा बताए अनुसार वाहन डम्पर नंबर व चालक का हवाला लिखित रिपोर्ट में भी दिया जाता, जो नहीं देने से आरोपित वाहन की संलिप्तता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

21. अनुसंधानकर्ता सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका का निरीक्षण करते समय गवाहों द्वारा उसे वाहन के नंबर बताए थे, फिर भी नक्शे मौके में भी वाहन के नंबरों का हवाला नहीं दिया गया है और तो और चश्मदीद तेजाराम ने भी दुर्घटना कारित वाहन के नंबर व चालक का नाम अस्पताल में रूपाराम और पुलिस को भी बताना जाहिर किया है एवं अन्वेषण अधिकारी सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर नाहटा अस्पताल वह स्वयं गया था । इस प्रकार जबकि अनुसंधानकर्ता भंवरलाल को अस्पताल में वाहन के नंबर व चालक की जानकारी

हो गई थी एवं वक्त निरीक्षण घटनास्थल उसके द्वारा पुनः गवाहों से पूछने पर गवाहों द्वारा आरोपित वाहन के उसे नंबर बता दिए थे, फिर भी उसके द्वारा घटना के 07 वें दिन देखे गए घटनास्थल के नक्शे मौके की रिपोर्ट में वाहन डम्पर के नंबर का उल्लेख नहीं करना एवं वाहन को जब्त नहीं करना यही दर्शित करता है कि घटनास्थल के निरीक्षण के रोज दिनांक 04.11.2023 तक दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर की जानकारी किसी को नहीं थी एवं मात्र बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त करने के इरादे से बाद में 02 माह पश्चात् दूसरे डम्पर की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् दुर्घटना आरोपित वाहन से होना बताते हुए 02 माह पश्चात् तेजाराम व अन्य गवाहों के कथन लेखबद्ध कर आरोपित वाहन को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया है।

22. प्रार्थीगण द्वारा परिवादी रूपाराम के धारा 161 सीआरपीसी के कथन प्रदर्श 14 पेश किए हैं जो घटना के 07 वें दिन, दिनांक 04.11.2023 को अन्वेषण अधिकारी भंवरलाल हैड कांस्टेबल नंबर 513 द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं जिसमें भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के बाबत कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अनुसंधानकर्ता सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका देखा तब उसने गवाहों से दुर्घटना कारित वाहन नंबर के बारे में पूछताछ की थी और गवाहों ने उसे गाड़ी के नंबर बता दिए थे। घटनास्थल का निरीक्षण घटना के 07 वें दिन, दिनांक 04.11.2023 को किया गया था जो मुस्तगीस रूपाराम की मौजूदगी में किया गया था। यदि उस वक्त भी आरोपित वाहन के नंबर की जानकारी मुस्तगीस रूपाराम व अनुसंधान अधिकारी को हो गई थी, तो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर का उल्लेख उसके धारा 161 सीआरपीसी के कथनों में नहीं करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि तत्समय भी किसी को आरोपित वाहन के नंबर की जानकारी नहीं थी, जिससे आरोपित वाहन की संलिप्तता पर संदेह उत्पन्न होता है।

23. चश्मदीद साक्षी ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम के धारा 161 सीआरपीसी के कथन घटना दिनांक 29.10.2023 से 02 माह के पश्चात् दिनांक 30.12.2023

को लेखबद्ध किए गए हैं जबकि वक्त प्रस्तुति रिपोर्ट वह अस्पताल में ही उपस्थित था जिस तथ्य को स्वयं अन्वेषण अधिकारी सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने स्वीकार किया है । फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 11 दिनांक 29.10.2023 पर भी तेजाराम के हस्ताक्षर है तथा स्वयं तेजाराम ने भी उसका पूरे दिन मुस्तगीस रूपाराम के साथ होना बताया है फिर भी तेजाराम एवं अन्य चश्मदीद गवाह राणाराम व लक्ष्मणराम के धारा 161 सीआरपीसी के कथन प्रदर्श 15 ता 17 दिनांक 30.12.2023 को घटना के 02 माह के पश्चात् लेखबद्ध करना यही दर्शाता है कि वाहन की व्यवस्था होने के बाद वाहन को मिथ्या लिप्त करने के उद्देश्य से 02 माह पश्चात् बयान लिये गये थे ।

24. आरोपित वाहन को घटना के 02 माह पश्चात् दिनांक 31.12.2023 को जब्त किया गया है, जबकि अनुसंधान अधिकारी सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने जिरह में स्वयं यह कथन किया है कि नक्शा मौका देखा तब उसने गवाहों से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर के बारे में पूछा था तब गवाहों ने गाड़ी के नंबर बताए थे । नक्शा मौका घटना के 07 वें दिन, दिनांक 04.11.2023 को देखा गया है । मेरे विनम्र मत में जब अनुसंधान अधिकारी को वाहन के बारे में पूर्व में ही जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद उनके द्वारा 02 माह से अधिक समय तक वाहन को जब्त नहीं किया जबकि वाहन मालिक जसोल का ही स्थानीय निवासी है जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि केवल डम्पर से दुर्घटना होने का तथ्य लिखित रिपोर्ट में वर्णित होने से दुर्घटना के 02 माह पश्चात् अन्य डम्पर वाहन की व्यवस्था हो जाने पर चश्मदीद गवाहों तेजाराम, राणाराम व लक्ष्मणराम के बयान लेखबद्ध कर एवं उस आधार पर अगले दिन दिनांक 31.12.2023 को आरोपित वाहन को जब्त कर आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । यदि वास्तव में आरोपित वाहन के नंबर व चालक के बारे में पूर्व से जानकारी होती तो लिखित रिपोर्ट, नक्शा मौका व हालात मौका की कार्यवाही, परिवादी के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथनों में भी वाहन के नंबर व चालक के नाम का हवाला दिया जाता एवं चश्मदीद गवाहों के कथन भी उसी समय लेखबद्ध किए जाकर वाहन

को भी तुरंत जब्त किया जाता, न कि 02 माह से अधिक देरी के पश्चात् चश्मदीद गवाहों कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् उसके अगले दिन वाहन को जब्त करते हुए दो दिन में ही संपूर्ण कार्यवाही की जाती ।

25. ए.डब्ल्यू. 01 तेजाराम पुलिस को अस्पताल में आरोपित वाहन के नंबर व चालक का नाम बताना कथन करता है जबकि अनुसंधानकर्ता सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने कथन किया है कि अस्पताल में उसने तेजाराम से वाहन नंबर पूछे थे लेकिन उसने उस समय नहीं बताए । चश्मदीद गवाह और अनुसंधानकर्ता के कथन परस्पर मेल नहीं खाते हैं एवं दोनों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है ।

26. वाहन डम्पर नंबर आर जे 07 जी बी 4901 की फर्द जब्ती प्रदर्श 07 के अवलोकन से उक्त वाहन दिनांक 31.12.2023 को यानी घटना के 02 माह के पश्चात् जब्त किया गया है तथा ए.डब्ल्यू. 02 तेजाराम के कथनानुसार उसके द्वारा परिवादी रूपाराम व पुलिस को उसी दिन अस्पताल में आरोपित वाहन के नंबर व चालक का नाम बता दिया था, ऐसी स्थिति में जब पुलिस को आरोपित वाहन के नंबर उसी दिन पता चल गए थे एवं स्वयं अनुसंधानकर्ता सी.डब्ल्यू. 01 भंवरलाल ने घटना के 07 वें दिन घटनास्थल निरीक्षण के समय भी गवाहों द्वारा उसे आरोपित वाहन के नंबर बता दिए गए थे, फिर भी उसी क्षेत्र के वाहन को घटना के 02 माह के पश्चात् जब्त करना करना यही दर्शित करता है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और बाद में आरोपित वाहन को दुर्घटना में संलिप्त किया गया है जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने भी पूर्ण सहयोग किया है ।

27. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2004 R.A.R. 543 (Raj.) Mala Ram Vs Roopa Ram & Ors.** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि "किसी भी पक्ष के निर्विरोध या अविरोधित मौखिक बयान को आँख मींचकर मानना अनिवार्य नहीं है अगर मुकदमे के तथ्यों, परिस्थितियों व रेकर्ड पर उपलब्ध शहादत को देखते हुए वह बयान गलत हो ।"

28. इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है उससे अनुसंधान अधिकारी भंवरलाल हैड कांस्टेबल नंबर 513 का कृत्य उसके कर्तव्यों से हटकर किया जाना एवं केवल मात्र प्रार्थीगण को क्लेम दिलाने के उद्देश्य से वाहन संख्या आर जे 07 जी बी 4901 को दुर्घटना में संलिप्त करने के उद्देश्य से गलत कार्यवाही करते हुए उसके पद एवं शक्तियों का दुरुपयोग करना पाया जाता है । अनुसंधान अधिकारी का उपरोक्त कृत्य अनुचित, अवैधानिक व उसके पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करना पाया जाता है जिससे भंवरलाल तत्कालीन हैड कांस्टेबल नंबर 513 पुलिस थाना जसोल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु इस निर्णय की नकल महानिदेशक पुलिस, जयपुर को प्रषित कर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भी लिखा जावे ।

29. न्यायिक दृष्टांत **2013 R.A.R. 346 (Raj.) Naina Ram & Anr. Vs Jagannath & Ors.** में प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो चालक का नाम और न ही वाहन के नंबर थे । मृतक के पिता के कथन, प्रथम सूचना प्रतिवेदन से समर्थित नहीं थे । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के दावा याचिका खारिजगी के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना । हस्तगत प्रकरण में भी चश्मदीद तेजाराम के कथन लिखित रिपोर्ट एवं अनुसंधान के दौरान तैयार किए गए दस्तावेजों से समर्थित नहीं है एवं उसके कथनों, लिखित रिपोर्ट एवं अन्वेषण अधिकारी के कथन परस्पर विरोधाभासी एवं संदेहयुक्त होना पाये जाते हैं ।

न्यायिक दृष्टांत **2016(1) ACTC (Raj.) 78 Mohra Devi & Ors. Vs Dhan Singhi Patyal & Anr.** में अधिकरण ने अभिकथित वाहन दुर्घटना में लिप्त नहीं माना । अन्वेषण अधिकारी द्वारा दावेदार–अपीलार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु अन्वेषण करना माना एवं क्लेम याचिका खारिज की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण के दावा याचिका खारिजगी के निष्कर्ष को उचित ठहराया ।

बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2013 R.A.R. 200 (Raj.) Smt. Bhagwani Vs Pooran & Ors.** में क्लेम इस आधार पर अस्वीकार

किया था कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में ट्रक का दुर्घटना में अन्तर्विलित होना अंकित नहीं था एवं ट्रक को दुर्घटना में घसीटने की कहानी बनायी गयी जिसमें पुलिस ने भी सहायता की ।

30. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2016(1) ACTC (Raj.) 337 Mahender Vs Girdhari & Ors.** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल आरोप पत्र पेश किए जाने या धारा 133 एमवी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त कर लेना मात्र अभिकथित वाहन से दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं करता है । दावा याचिका खारिजगी के निष्कर्ष को सही ठहराया गया ।

न्यायिक दृष्टांत **2014(1) R.A.R. 345 (Raj.) Jyoti Devi & Ors. Vs Amar Deep & Ors. Naina Ram & Anr. Vs Jagannath & Ors.** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल मात्र मालिक द्वारा स्वीकारोक्ति एवं दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने से दावेदार का मामला समर्थित नहीं होगा । अधिकरण के क्लेम अस्वीकार करने के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया गया ।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में एवं साक्ष्य की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि आरोपित वाहन डम्पर संख्या आर जे 07 जी बी 4901 से दुर्घटना कारित हुई हो, जिसका चालक ओमाराम हो एवं ओमाराम द्वारा कारित दुर्घटना के परिणामस्वरूप हीराराम की मृत्यु हुई हो । अतः विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के विरुद्ध एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पक्ष में विनिश्चित किए जाते हैं ।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

32. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है । इस संबंध में प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना पत्र में मृतक हीराराम की आयु वक्त दुर्घटना 55 वर्ष होना

बताया है । ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र ने वक्त दुर्घटना उसके पिताजी की आयु 55 वर्ष होना कथन किया है । प्रार्थीगण ने मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया है, किन्तु मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें जन्मतिथि 19.08.1967 उल्लेखित है उस अनुसार दुर्घटना दिनांक 29.10.2023 को मृतक हीराराम की आयु 56 वर्ष 02 माह होना पायी जाती है ।

33. मृतक की आय के संबंध में प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना–पत्र में एवं ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र ने उसके पिताजी कुशल वाहन चालक होना एवं किराये के वाहनों को चलाना एवं शादी, होली, दिपावली व अन्य उत्सवों पर उनका ढोल बजाने का पुश्तैनी कार्य करना तथा खेतीबाड़ी व पशुपालन का कार्य अतिरिक्त कार्य करके मासिक 30,000/– रुपये आय प्राप्त करना बताया है । अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि उसके पिताजी गाड़ी चलाते थे और शादी, दीपावली पर ढोल भी बजाते थे । इस कथन को सही बताया है कि ढोलियों का काम शादी–ब्याह में मांगकर खाने का है । काम धंधा ढोली नहीं करते । अजखुद कहा कि उसके पिताजी कुशल ड्राइवर थे जिसका लाइसेंस उसने पत्रावली में पेश किया है । इस कथन को सही बताया है कि उसके पिताजी के आय संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं । इस कथन को गलत बताया है कि उसके पिताजी मांगकर खाते हो उनकी कोई आय नहीं हो लेकिन आज क्लेम प्राप्त करने के लिए उनको ड्राइवर बता रहा हूँ और उनकी आय बढ़ा–चढ़ाकर बता रहा हूँ ।

34. प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि मृतक मासिक 30,000/– रुपये की आय अर्जित करता हो, लेकिन मृतक द्वारा ड्राइविंग का कार्य करना बताया है । प्रार्थीगण ने मृतक की चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की है जो Light Motor Vehicle, Transport Vehicle वाहन चलाने से संबंधित है । हालांकि, उक्त चालन अनुज्ञप्ति दिनांक 18.02.2018 तक ही प्रभावी थी लेकिन इससे यह साबित होता है कि

मृतक पूर्व में ट्रांसपोर्ट यान चलाने का अनुज्ञप्तिधारी रहा है जिस तथ्य का अप्रार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया है जिससे मृतक का व्यवसाय वाहन चालक होना साबित है। अतः मृतक की एक कुशल श्रमिक की आय माना जाना उचित प्रतीत होता है। दुर्घटना दिनांक 29.10.2023 को प्रवृत्त एक कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी रुपये 8,034/– के आधार मृतक की वार्षिक आय 96,408/– रुपये निर्धारित की जाती है।

35. मृतक की आयु 56 वर्ष 02 महीने होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 09 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पिटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतक की उम्र 50–60 वर्ष के बीच होने पर उसकी भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 10% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतक की वार्षिक आय 96,408 + 10% = 1,06,049/– रुपये होती है।

37. प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 01 महेन्द्र ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वह उसके पिता की आय पर आश्रित नहीं था। वह खुद मांगकर और कमाकर खाता है। उसकी माँ का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है। रूपाराम उसका बड़ा भाई है जो कुंवारा है और वह भी उसका खर्च स्वयं चलाता है। इस प्रकार मृतक के पुत्रों का उस पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता है। चूंकि मृतक विवाहित था, ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 1,06,049/– – 1/3 (35,350) = 70,699/– रुपये तय की जाती है।

38. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में

प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाए जाने, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

39. इस प्रकार प्रार्थीगण को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1.	मृतक की आयु	56 वर्ष 02 माह
2.	गुणक	09
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	1,06,049/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/3 कटौती	35,350/–
5.	कुल आय की हानि (70,699 X 09)	6,36,291/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 2) मद में रुपए	96,000/–
9.	शव घर तक लाने में हुए खर्च के मद में रुपए	10,000/–
	कुल मुआवजा राशि	7,78,291/–

40. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है ।

<u>अनुतोष</u>

41. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के विरुद्ध, विवाद्यक संख्या 02 आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पक्ष में तय किए गए हैं जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।

– आदेश –

42. अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अस्वीकार कर खारिज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

43. निर्णय आज दिनांक 05.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by MAHENDRA MEGHWAL
Location: Balotra
Date: 2026.08.06 16:45:06 +0530